संघे शक्ति सर्वदा   सत्यमेव जयते   लेखपाल संघ जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी0 संख्या : 75-4/11-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005

web.www.lekhpal.wordpress.com
Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504
पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रुड़की रोड, निकट छठी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण
सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258
भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो. 9198895639
धनंजय कुमार श्रीवास्तव
(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण
नीरज कुमार राठौर
(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234
मनीष कुमार पाठक
(मध्य जोन)
मो. 9454449099
करुणेश सिंह
(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष
सुजीत सिकन्दर
मो. 9415607229

लेखा परीक्षक
शमशेर सिंह
मो. 8168037301

पत्रांक 78/उ.प्र.ले.सं.   दिनांक 27-12-2024

सेवा में,

मा0 मुख्य सचिव महोदय,
उ0प्र0 शासन।
कृषि अनुभाग–5

विषयः– एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री योजना में आ रही तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कराने विषयक ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कृषि विभाग की एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री योजना के अन्तर्गत फार्मर आई0डी0 तैयार करने हेतु 18 नवम्बर से विशेष अभियान कैम्प मोड में चलाया गया है। कैम्प में कृषि विभाग के तकनीकी सहायक द्वारा आधार पंजीकरण कर फार्मर आई0डी0 जनरेट की जानी है तथा लेखपाल द्वारा भूलेख डाटा फार्मर आई0डी0 से लिंक कर सत्यापन किया जाना है। उक्त कार्य भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये एग्रीस्टैक ऐप के माध्यम से किया जाना है।

कृषि विभाग के तकनीकी सहायक द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण सहजता से कर दिया जा रहा है क्योंकि उनकी लागिन आई0डी0 निर्बाध रूप से चल रही है। लेखपाल की लागिन आई डी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं। आधार एवं खतौनी में नाम मिसमैच होने पर फार्मर आई0डी0 लिंक नहीं हो पा रही है। लेखपाल लागिन आई0डी0 से सत्यापन हेतु ओ0टी0पी0 डालने के बाद अथवा फोटो अपलोड करने के बाद ई0हस्ताक्षर करना होता है। पहले तो ओ0टी0पी0 अथवा फोटो अपलोड नहीं हो पाता है और यदि किसी तरह ओ0टी0पी0 के आगे प्रकिया होती भी है तो ई0 हस्ताक्षर पर फेल हो जाती है। नोडल अधिकारियों /टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करने पर अवगत **कराया गया है कि पूरे भारतवर्ष में एक ही वेंडर कार्य कर रहा है जिस कारण एक बार में अधिकतम 90000 लागिन पर ही कार्य हो सकता है। जिस कारण लेखपाल ई0 हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है। इस कारण किसान घण्टों–घण्टों बैठने के बावजूद फार्मर रजिस्ट्री न बनने से लेखपालों पर नाराज होकर जा रहे हैं।**

(PTO)

Scanned with OKEN Scanner

महोदय उक्त योजना जुलाई–अगस्त 2024 में भी प्रारम्भ की गयी थी परन्तु ऐप कार्य न करने के कारण स्थगित कर दी गयी थी। वर्तमान में भी उक्त तकनीकी समस्या यथावत बनी हुई है। जिस कारण लेखपाल पूरा दिन कैम्प में एग्री ऐप से जूझते रहते हैं और एक भी फार्मर आई0डी0 सत्यापन सफल नहीं हो पाता है। इससे एक ओर जहां उक्त योजना के अन्तर्गत अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं वहीं राजस्व विभाग से सम्बन्धित आई0जी0आर0एस0, तहसील समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस आदि सन्दर्भ एवं विविध कार्य न हो पाने के कारण राजस्व विभाग की छवि खराब हो रही है। राजस्व विभाग की रैंकिंग गिरने के कारण लेखपालों पर अनावश्यक उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा रात्रि में गॉव में रहकर कार्य करने का दबाव अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है। रात्रि में कार्य करने की स्थिति में लेखपालों के साथ मारपीट, अभद्रता की घटनाओं के साथ–साथ जान जोखिम का खतरा सम्भावित है।

उक्त योजना के अन्तर्गत वेब पोर्टल एवं फार्मर रजिस्ट्री यूपी ऐप के माध्यम से कृषकों द्वारा सेल्फ मोड के साथ–साथ जनसुविधा केन्द्रों एवं पंचायत विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों एवं बी0सी0 सखी एवं कृषि सखी के द्वारा भी फार्मर रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रावधानित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि –

(1)– ऐप में तकनीकी सुधार एवं क्षमता वृद्धि के पश्चात ही कार्य कराया जाए जिससे कार्मिकों एवं किसानों का अनावश्यक समय नष्ट न हो।

(2)– कृषि विभाग के तकनीकी सहायक की लागिन आई0डी0 से पंजीकरण करते समय आधार संख्या के साथ–साथ कम से कम एक खसरा संख्या अवश्य फीड किया जाना अनिवार्य हो जिससे वास्तविक किसान का ही पंजीकरण हो सके।

(3)– ओ0टी0पी0 /फेस रीडिंग का प्रयोग केवल पंजीकरण करते समय ही एक बार आवश्यक होना चाहिए। भूलेख डाटा फीडिंग /सत्यापन में केवल आधार संख्या ही पर्याप्त होनी चाहिए।

(4)– शासनादेश संख्या 1337/12–5–2024/1803641/12:5/39/2023 दिनांक 18 नवम्बर 2024 कृषि अनुभाग–5 के प्रस्तर 2(I) व 2(III ख) की व्यवस्थानुसार वेब पोर्टल एवं फार्मर रजिस्ट्री यूपी ऐप के माध्यम से कृषकों द्वारा सेल्फ मोड के साथ–साथ जनसुविधा केन्द्रों एवं पंचायत विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों एवं बी0सी0 सखी एवं कृषि सखी के द्वारा भी फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य सम्पादित कराने की कृपा करें।

(5) एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक व्यय के मद में प्रावधानित बजट से लेखपालों को प्रोत्साहन राशि /मानदेय का भुगतान एग्रीस्टैक फसल सर्वे की भांति कराने की कृपा करें।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0 शासन।
2. मा0 प्रमुख सचिव कृषि महोदय, उ0प्र0 शासन।
3. मा0 कृषि निदेशक महोदय, उ0प्र0।
4. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदया, राजस्व परिषद उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

संघे शक्ति सर्वदा सत्यमेव जयते लेखपाल संघ जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी० संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ - 226005

web.www.lekhpal.wordpress.com
Email : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार-मो-शिवदयाल कमाउन्ड निकट - आई.टी.सी.सहारनपुर 247001 (उ0प्र0)

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री
+91-9760398504
पत्राचार-36 ग्रीन सिटी, रुड़की रोड, निकट छटी वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ.प्र.)

उपाध्यक्षगण
सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
मो. 9758547258
भूपेन्द्र सिंह
(मध्य जोन)
मो. 9198895639
धनंजय कुमार श्रीवास्तव
(पूर्वी जोन)
मो. 9005376263

संगठन मंत्रीगण
नीरज कुमार राठौर
(पश्चिमी जोन)
मो. 9936201234
मनीष कुमार पाठक
(मध्य जोन)
मो. 9454449099
करूणेश सिंह
(पूर्वी जोन)
मो. 8874060600

कोषाध्यक्ष
सुजीत सिकन्दर
मो. 9415607229

लेखा परीक्षक
शमशेर सिंह
मो. 8168037301

पत्रांक ....78/म0मं0....   दिनांक ....23.12.2024....

सेवा में,

मा0 मुख्य सचिव महोदय,
उ0प्र0 शासन।
कृषि अनुभाग–5

विषयः– एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री योजना में आ रही तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कराने विषयक ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि कृषि विभाग की एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री योजना के अन्तर्गत फार्मर आई0डी0 तैयार करने हेतु 18 नवम्बर से विशेष अभियान कैम्प मोड में चलाया गया है। कैम्प में कृषि विभाग के तकनीकी सहायक द्वारा आधार पंजीकरण कर फार्मर आई0डी0 जनरेट की जानी है तथा लेखपाल द्वारा भूलेख डाटा फार्मर आई0डी0 से लिंक कर सत्यापन किया जाना है। उक्त कार्य भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये एग्रीस्टैक ऐप के माध्यम से किया जाना है।

कृषि विभाग के तकनीकी सहायक द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण सहजता से कर दिया जा रहा है क्योंकि उनकी लागिन आई0डी0 निर्बाध रूप से चल रही है। लेखपाल की लागिन आई डी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही हैं। आधार एवं खतौनी में नाम मिसमैच होने पर फार्मर आई0डी0 लिंक नहीं हो पा रही है। लेखपाल लागिन आई0डी0 से सत्यापन हेतु ओ0टी0पी0 डालने के बाद अथवा फोटो अपलोड करने के बाद ई0हस्ताक्षर करना होता है। पहले तो ओ0टी0पी0 अथवा फोटो अपलोड नहीं हो पाता है और यदि किसी तरह ओ0टी0पी0 के आगे प्रकिया होती भी है तो ई0 हस्ताक्षर पर फेल हो जाती है। **नोडल अधिकारियों /टोल फ्री नम्बर पर संपर्क करने पर अवगत कराया गया है कि पूरे भारतवर्ष में एक ही वेंडर कार्य कर रहा है जिस कारण एक बार में अधिकतम 90000 लागिन पर ही कार्य हो सकता है। जिस कारण लेखपाल ई0 हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा है। इस कारण किसान घण्टों–घण्टों बैठने के बावजूद फार्मर रजिस्ट्री न बनने से लेखपालों पर नाराज होकर जा रहे हैं।**

पृ0उ0

Scanned with OKEN Scanner

महोदय उक्त योजना जुलाई–अगस्त 2024 में भी प्रारम्भ की गयी थी परन्तु ऐप कार्य न करने के कारण स्थगित कर दी गयी थी। वर्तमान में भी उक्त तकनीकी समस्या यथावत बनी हुई है। जिस कारण लेखपाल पूरा दिन कैम्प में एग्री ऐप से जूझते रहते हैं और एक भी फार्मर आई0डी0 सत्यापन सफल नहीं हो पाता है। इससे एक ओर जहां उक्त योजना के अन्तर्गत अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं वहीं राजस्व विभाग से सम्बन्धित आई0जी0आर0एस0, तहसील समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस आदि सन्दर्भ एवं विविध कार्य न हो पाने के कारण राजस्व विभाग की छवि खराब हो रही है। राजस्व विभाग की रैंकिंग गिरने के कारण लेखपालों पर अनावश्यक उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जा रही है तथा रात्रि में गॉव में रहकर कार्य करने का दबाव अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है। रात्रि में कार्य करने की स्थिति में लेखपालों के साथ मारपीट, अभद्रता की घटनाओं के साथ–साथ जान जोखिम का खतरा सम्भावित है।

उक्त योजना के अन्तर्गत वेब पोर्टल एवं फार्मर रजिस्ट्री यूपी ऐप के माध्यम से कृषकों द्वारा सेल्फ मोड के साथ–साथ जनसुविधा केन्द्रों एवं पंचायत विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों एवं बी0सी0 सखी एवं कृषि सखी के द्वारा भी फार्मर रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रावधानित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि –

(1)– ऐप में तकनीकी सुधार एवं क्षमता वृद्धि के पश्चात ही कार्य कराया जाए जिससे कार्मिकों एवं किसानों का अनावश्यक समय नष्ट न हो।

(2)– कृषि विभाग के तकनीकी सहायक की लागिन आई0डी0 से पंजीकरण करते समय आधार संख्या के साथ–साथ कम से कम एक खसरा संख्या अवश्य फीड किया जाना अनिवार्य हो जिससे वास्तविक किसान का ही पंजीकरण हो सके।

(3)– ओ0टी0पी0 /फेस रीडिंग का प्रयोग केवल पंजीकरण करते समय ही एक बार आवश्यक होना चाहिए। भूलेख डाटा फीडिंग /सत्यापन में केवल आधार संख्या ही पर्याप्त होनी चाहिए।

(4)– शासनादेश संख्या 1337/12–5–2024/1803641/12:5/39/2023 दिनांक 18 नवम्बर 2024 कृषि अनुभाग–5 के प्रस्तर 2(।) व 2(।।। ख) की व्यवस्थानुसार वेब पोर्टल एवं फार्मर रजिस्ट्री यूपी ऐप के माध्यम से कृषकों द्वारा सेल्फ मोड के साथ–साथ जनसुविधा केन्द्रों एवं पंचायत विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों एवं बी0सी0 सखी एवं कृषि सखी के द्वारा भी फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य सम्पादित कराने की कृपा करें।

(5) एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक व्यय के मद में प्रावधानित बजट से लेखपालों को प्रोत्साहन राशि /मानदेय का भुगतान एग्रीस्टैक फसल सर्वे की भांति कराने की कृपा करें।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए आवश्यक निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

संस्था महोदय की आभारी रहेगी।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित–

1. मा0 प्रमुख सचिव राजस्व महोदय, उ0प्र0 शासन।
2. मा0 प्रमुख सचिव कृषि महोदय, उ0प्र0 शासन।
3. मा0 कृषि निदेशक महोदय, उ0प्र0।
4. मा0 आयुक्त एवं सचिव महोदया, राजस्व परिषद उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी महोदय, उ0प्र0।

विनोद कुमार कश्यप
प्रदेश महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner